-:प्रेस नोट:-

दिनांक-13.06.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **थाना पैलानी पुलिस द्वारा 45 वर्षों से फरार वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना पैलानी पुलिस द्वारा लगभग 45 वर्षों से फरार चल रहे वांछित अभियुक्त कल्लू सिंह पुत्र गज्जा सिंह, निवासी ग्राम सिंधनकला, थाना पैलानी, जनपद बांदा को ग्राम कानाखेड़ा क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त मु0अ0सं0 537/1984, धारा 460 भारतीय दंड संहिता से संबंधित आपराधिक प्रकरण में विगत लगभग 45 वर्षों से वांछित चल रहा था। अभियुक्त गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार अपने निवास एवं ठिकाने बदलता रहा तथा अपनी पहचान छिपाकर विभिन्न स्थानों पर रह रहा था। थाना पैलानी पुलिस द्वारा पुराने अभिलेखों का गहन अध्ययन, स्थानीय एवं मुखबिर तंत्र को सक्रिय कर सूचनाओं का संकलन तथा संदिग्ध गतिविधियों पर निरंतर निगरानी रखी गई। पुलिस टीम द्वारा सटीक सूचना एवं प्रभावी रणनीति के तहत सुनियोजित कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को ग्राम कानाखेड़ा क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए उसे माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. कल्लू सिंह पुत्र गज्जा सिंह उम्र निवासी ग्राम सिंधनकला थाना पैलानी जनपद बांदा

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

1. उ0नि0 प्रेमचन्द्र सरोज
2. का0 अनिल अहिरवार